

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या:- 46/2018

- 1 कालीबाई पत्नी विनोद कुमार कंजर निवासी माल का नयागांव तह0 वेगू
- 2 रेणु पत्नी भूरालाल कंजर निवासी माल का नयागांव तह0 वेगू
- 3 अमरुदबाई पति गंगाराम कंजर निवासी माल का नयागांव तह0 वेगू
- 4 सुगना पति सिम्पल कंजर निवासी माल का नयागांव तह0 वेगू
- 5 रामचन्द्र पिता शंकरलाल कंजर निवासी माल का नयागांव तह0 वेगू वादीगण

बनाम

- 1 बंशीलाल पिता बिलासिया जाति हरिजन निवासी मण्डावरी तह0 वेगू
- 2 ओमप्रकाश पिता बिलासिया जाति हरिजन निवासी मण्डावरी तह0 वेगू
- 3 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब वेगू जिला चित्तौडगढ़
- 4 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बडोदा राज0 ग्राम बैंक शाखा नंदवाई तह0 वेगू प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त विल्लू की उपस्थिति एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ताकी अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा माल का नया गांव हल्का मण्डावरी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1- श्री ओमप्रकाश पुत्र बिलासिया हरिजन हि. 1/2, सा.देह खातेदार रहन हि.1/2 बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नंदवाई बंशीलाल पुत्र बिलासिया हरिजन हि. 1/2, सा.देह खातेदार रहन हि.1/2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा वेगू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
858 मेसे	0.1740
1872/858 मेसे	0.4480

कीता- 02 0.6220 हैक्टर

2- श्री मति अमरुदबाई पति गंगाराम कंजर हि. 1/3, कालीबाई पति विनोद कुमार कंजर हि. 1/6, रेणु पति भूरालाल कंजर हि. 1/6, रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल कंजर हि. 1/12, सुगना पति सिम्पल कंजर हि. 1/4 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1872/858 मेसे	0.9330

कीता- 01 0.9330 हैक्टर

3- श्री ओमप्रकाश पुत्र बिलासिया हरिजन हि. 1/5, बंशीलाल पुत्र बिलासिया हरिजन हि. 1/5, श्री मति अमरुदबाई पति गंगाराम कंजर हि. 1/5, कालीबाई पति विनोद कुमार कंजर हि. 1/10, रेणु पति भूरालाल कंजर हि. 1/10, रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल कंजर हि. 1/20, सुगना पति सिम्पल कंजर हि. 3/20 सा. देह खातेदार रहन वदस्तुर जमाबन्दी अनुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
858 मेसे	0.0040
1872/858 मेसे	0.0600

कीता- 02 0.0640 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

दिनांक :-

क्रमांक/सरिश्ता/2025/

दावा संख्या 46/2018 व अनवान कालीबाई बनाम बंशीलाल वगैरे वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार वेगू को दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू